**मित्रों,**

**इस चर्चा में हम ज्यूरी सिस्टम यानी प्रजा आधीन न्यायतंत्र या आम नागरिकों द्वारा भ्रष्ट को सज़ा देने के अधिकार के बारे में बात करेंगे |**

**इस चर्चा में यदि आपको कुछ समझ नहीं आये, तो विडियो या ऑडियो को रोक कर फिर से सुनें |**

प्राचीन भारत में ग्राम-सभाएं होती थीं, जिनके पास ये अधिकार था के वो

- किसी भी राजा को निकाल सकते थे |
- राजा के कोई भी आदेश को रद्द कर सकते थे |
- अगर राजा ग्राम सभा के फैसले को मानने से इनकार कर दे तो राजा को बहुमत से सज़ा या फांसी दे सकते थे |

भारत के स्कूलों में, पाठ्यकर्म में ये बातें पढाई नहीं जाती क्योंकि भारत के नेता भ्रष्ट हैं और जनता को ऐसे अधिकार देने से वे अपने काले धंधे नहीं चला पाएंगे |

पश्चिम के देशों में भारत के मुकाबले में भ्रष्टाचार क्यों कम है ? उसका कारण है कि वहाँ के नागरिकों के पास उनके राजनेता, मंत्रियों, सरकारी कर्मचारी और जजों को काम से या नौकरी से निकालने की और उनको सजा देने की प्रक्रिया या तरीका है और उनको यह करने के लिए जजों के सामने गिडगिडाना- या अनुरोध नहीं करना पड़ता है |

इस नौकरी से निकालने की प्रक्रिया को राईट टू रिकोल कहते हैं और इस सजा देने की प्रक्रिया को ज्यूरी सिस्टम कहते हैं | मतलब कि वहाँ के राजनेता, मंत्री, सरकारी कर्मचारी और जजों के सर के ऊपर दो लटकती तलवार रहती है कि अगर मैं ठीक से काम नहीं करूँगा या भ्रष्टाचार करूँगा तो मुझे नौकरी में से निकाल देंगे और नौकरी में से निकलने के बाद मुझे सजा भी 15 से 20 दिन में दे देंगे |

## (1) सबसे पहले देखें कि हमें कोर्ट में सुधार की जरूरत क्यों है?

जब नागरिकों ने 1950 में संविधान लिखा तो नागरिकों द्वारा सांसदों, सुप्रीम-कोर्ट-जज, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के अधिकारियों आदि को साफ-साफ बता दिया गया था कि :-

1. देश भारत के संविधान के अनुसार चलाया जाएगा।

2. देश उस संविधान के अनुसार चलेगा, जिसका मतलब या अर्थ भारत के आम-नागरिक तय करेंगे।

सुप्रीम-कोर्ट-जज द्वारा संविधान का ,किया गया अर्थ, मंत्रियों द्वारा संविधान का किया गया अर्थ से उपर होगा। लेकिन नागरिकों द्वारा संविधान का किया गया अर्थ अंतिम होगा और सबसे उपर होगा और यह सुप्रीम-कोर्ट के जज के संविधान का अर्थ से भी उपर होगा ।

इन निर्णयों के कारण ही नागरिकों ने संविधान के उदेश्य बताने वाले भाग, भूमिका में `लोकतंत्र`, `राजनैतिक न्याय` और `समानता` जैसे शब्द रखे |और भूमिका स्पष्ट बताता है कि `हम भारत के लोग, यानी कि भारत के करोड़ों नागरिकों ने ये संविधान बनाया और लागू किया है | और यही कारण था कि सांसदों, जिनसे नागरिकों का प्रतिनिधि या नेता होने की आशा की जाती थी, उन्हें सुप्रीम-कोर्ट के जजों को हटाने की शक्ति दे दी गई थी ताकि यदि कभी सुप्रीम-कोर्ट के जज, संविधान का अर्थ, नागरिकों द्वारा किये गए अर्थ से अलग ढ़ंग या तरीके से करें, तो सांसद सुप्रीम-कोर्ट पर महाभियोग (आरोप लगाने और हटाने की प्रक्रिया) चला सकें।

भारत के संविधान में बहुत से विचार पश्चिम और अमेरिका के संविधान और वहाँ के समाज से लिए गए हैं। 1950 में जब नागरिकों ने भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने `लोकतंत्र` शब्द का वह अर्थ लिया था जो उस समय पश्चिम और अमेरिका में प्रचलन में था। अमेरिका में `लोकतंत्र` शब्द का क्या अर्थ था? इसे समझने के लिए किसी व्यक्ति को अमेरिकी राज्यों के संविधान पढ़ने चाहिए । उदाहरण के लिए ***मेरी लैण्ड के संविधान* में यह साफ-साफ लिखा है कि "जूरी-मण्डल के सदस्य अर्थात आम नागरिक कानूनों के साथ-साथ तथ्यों (यानी असली घटनाओं की जानकारी) का भी अर्थ करेंगे**" | अमेरिका के 20 और राज्यों के संविधानों में भी यही लिखा है और अमेरिका का सुप्रीम-कोर्ट भी ऐसा ही बोलता है। दूसरे शब्दों में, 1950 में अमेरिका में *लोकतंत्र शब्द का साफ-साफ अर्थ था एक ऐसा शासन जिसमें नागरिक कानून बनाते हैं और नागरिक ही किसी मुकद्दमे में कानूनों के साथ-साथ तथ्यों का भी अर्थ करते हैं।*

लेकिन अब संविधान को सुप्रीम-कोर्ट और हाई-कोर्ट में टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है (यानी गलत अर्थ लगा कर बर्बाद कर दिया है)। मैं आगे एक उदाहरण यहां पेश करूंगा। (उसका लिंक विवरण में देखें ) http://www.boloji.com/wfs2/wfs238.htm

## " यौन अपराधों के लिए फन प्लेस या मनोरंजक स्थल "

**----------लेख शुरू----------**

मार्टी पति-पत्नी को दिसंबर, 2000 में तब रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जब वे गेटवे ऑफ इंडिया से उठाकर लाई गई नाबालिग लड़कियों के गन्दे चित्र उतार रहे थे। स्विटजरलैण्ड के इस पति-पत्नी के द्वारा नाबालिग लड़कियों के बाल यौन (शोषण) अपराध की डरावनी कहानी मुंबई के एक सेशन कोर्ट को कैमरे के जरिए बताई गई। और मार्च, 2003 में

अतिरिक्त सेशन जज मृदुला भटनागर ने इस पति-पत्नी को सजा सुनाई। उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस सजा के खिलाफ उनकी अपील का ही नतीजा था कि मुंबई हाई-कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार किया कि यदि इस मामले की सुनवाई तेजी से नहीं होती तो उनकी अपील 7 वर्षों के बाद भी सुनी नहीं जाती जो मुख्य तौर पर उनके सजा की अवधि थी। जज ने उन्हें प्रत्येक पीड़ित को एक-एक लाख रूपए का बड़ा हुआ हरजाना भरने का भी निर्देश दिया। उनके अपराध की गहराई की चर्चा पूरे फैसले में कहीं पर भी नहीं की गयी थी ।

उनके पासपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि वह पति-पत्नी वर्ष 1989 से ही हर वर्ष भारत आया करते थे | वे कई देशों में अपना धन्धा चलाते थे और उनके लैपटॉप बच्चों की तस्वीरों से भरे पड़े थे जिसमें श्रीलंका और फिलिपिन्स के भी बच्चे थे। स्वयं को अकेला बुजुर्ग पति-पत्नी बताकर वे गली के बच्चों और उनके माता-पिता से दोस्ती करते थे और उन्हें दान की आड़ में खुशहाल जिन्दगी का वायदा करते थे। श्री मार्टी (जिसने स्वयं को एक बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनी में मेनेजर बताया था) और उसकी पत्नी, दोनों के पास से चिकनाई वाले पदार्थ या लुब्रिकेन्ट्स, कंडोम और लिंग के उपर छिड़काव करने वाले स्प्रे पाए गए थे। लिली मार्टि एक ट्रेंड नर्स थी जो शोषण या अत्याचार के शिकार बच्चों के घाव की दवा–पट्टी करती थी। लेकिन सबूत के रूप में रिकार्ड की गई इन बातों में से किसी भी बात का जिक्र मुंबई हाई-कोर्ट के फैसले में नहीं किया गया। **सुप्रीम-कोर्ट की बेंच जिसके अध्यक्ष सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज वी. एन. खरे थे, उन्होंने** 5 अप्रैल, 2004 को दिए गए अपने फैसले में **इन बाल अपराध के दोनों दोषियों को जमानत दे दी !!..... “**

**----------लेख समाप्त----------**

भारत के सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज श्री खरे से जमानत मिल जाने के बाद दोनों धनवान स्विट्जरलैण्ड-वासी ,बाल यौन-शोषण अपराधी भारत से बच निकले। इस प्रकार के जमानत के आदेश, पुलिसवालों और निचली अदालत के जजों के मनोबल गिरा देते हैं । वे अवश्य ही यह सोचेंगे कि अपराधी को सजा दिलाने का उनका प्रयास बेकार गया। और उन्हें इस बात का मन में दुःख भी होगा कि घूस दिए जाने के प्रस्ताव को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। मुंबई हाई-कोर्ट के जज द्वारा छोड़ दिए जाने का आदेश संविधान के खिलाफ था। *और सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज `खरे` द्वारा दोनों <u>धनवान</u> स्विट्जरलैण्ड-वासी बाल अपराध के दोषियों को दिया गया जमानत का आदेश भी संविधान का घोर उल्लंघन था।* **संविधान के ऐसे उल्लंघन इसलिए होते हैं क्यों कि हम आम-नागरिकों के पास संविधान का उल्लंघन करने वाले जजों को नौकरी से हटाने की कोई प्रक्रिया या तरीका नहीं है।**

## (2) अब हम बात करते हैं कि ऐसे अन्यायपूर्ण फैसलों का समाज पर क्या प्रभाव होता है ?

यदि हम कोर्ट में सुधार नहीं लाऐंगे तो अमीरों द्वारा सबसे गरीब 99 प्रतिशत नागरिकों पर अन्याय तो बढ़ता ही जाएगा। समाज में मिल-जुलकर रहने की स्थिति कम होती जाती है और देश के प्रति आम-नागरिकों की वफादारी कम हो जाती है जब विशिष्ट या उच्च वर्ग के लोग आम लोगों पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। और समाज में मिल-जुलकर रहने की स्थिति में कमी आने से प्रशासन और सेना की ताकत भी कम होती है। जब नागरिकों को कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिलता है, तो उन्हें राष्ट्र और समाज की रक्षा करने में कोई लाभ नजर नहीं आता है। पुलिस व कोर्ट आदि में अन्यायपूर्ण व्यवहार किए जाने से दिनों-दिन देश-प्रेम की भावना में कमी आती जाती है और इससे पूरा समाज, राष्ट्र और यहां तक कि राष्ट्र का प्रत्येक अंग-प्रशासन, पुलिस, सेना आदि भी कमजोर हो जाते हैं । ऐसी अव्यवस्था से राष्ट्र कमजोर होगा और इसका परिणाम फिर से देश की गुलामी के रूप में होगा।

नागरिक जजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार को कैसे रोक सकते है? और कैसे हम नागरिक सुप्रीम-कोर्ट और हाई-कोर्ट में संविधान की अवहेलना और जजों का अन्यायपूर्ण व्यवहार रोक सकते हैं? और कैसे नागरिक कोर्ट में तेजी से मुकद्दमों का निपटारा करने के कार्य में सुधार कर सकते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे |

## (3) अभी हम देखें कि निचली अदालतों, हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में ईमानदारी की कमी के कारण क्या हैं

अदालतों की संख्या बढ़ने से कार्यवाई में तेजी आएगी, लेकिन उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अदालतों में कुछ परिवर्तनों की जरूरत है| अदालतों में समस्याएं ये है-

1. पहली, भाई-भतीजावाद - वकील और *आसिल(यानी वकील के ग्राहक या मुवक्किल)* जो जजों के रिश्तेदार होते हैं, वे एक के बाद एक मुकद्दमें जीतते जाते हैं।
2. दूसरी, जज-वकील की मिली-भगत
3. तीसरी, जज-अपराधी की मिली-भगत
4. चौथी, जजों में भ्रष्टाचार
5. और पांचवी, जजों को नौकरी पर रखने में भाई-भतीजावाद या रिश्तेदारों की तरफदारी

## (4) अब देखेते हैं कि जूरी सिस्टम क्या है ?

हम पहले बताए गए पांच में से चार समस्याओं के लिए जूरी सिस्टम और पांचवीं समस्या के समाधान के लिए लिखित परीक्षाओं द्वारा जजों को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव करते हैं। दुख की बात है कि भारत में ज्यादातर मतदाता और शिक्षित लोग भी जूरी सिस्टम क्या है  के बारे में कुछ भी नहीं जानते । ऐसा इसलिए है कि भारत के बुद्धिजीवी लोग जूरी सिस्टम के इतने ज्यादा विरोधी हैं कि इन्होंने कभी भी जूरी सिस्टम के बारे में छात्रों और आम कार्यकर्ताओं को जानकारी ही नहीं दी ।

**जूरी सिस्टम में**, प्रत्येक मुकद्दमा का फैसला जज के बदले, जिले, राज्य और राष्ट्र के मतदाता सूची में से क्रम रहित या अंधा-धुंध तरीके से चुने 15-20 अलग-अलग नागरिकों द्वारा किया जाता है जिन्हें जूरी-सदस्य कहा जाता है । पूरे देश के 20-25 लाख मुकद्दमें 3 करोड़ नागरिकों द्वारा सुलझाए जायेंगे । प्रत्येक मुकद्दमे के साथ जूरी मण्डल के सदस्य बदल जाते हैं। एक नागरिक कम से कम 5 वर्षों के लिए फिर से जूरी मण्डल का सदस्य नहीं बन सकता है। यदि किसी जिले में हर वर्ष 5000 मुकद्दमें या मामले आते हैं और मान लीजिए, 5 वर्षों में 25,000 मुकद्दमें आते हैं, तो जूरी सिस्टम में, इन्हें 3 लाख से 5 लाख अलग-अलग नागरिकों द्वारा सुलझाया जाएगा।

यदि जूरी सिस्टम की तुलना जज सिस्टम से करें तो ,जज सिस्टम में, व्यक्तियों का एक छोटा समूह, मान लीजिए, 20,000 से एक लाख व्यक्ति भारत में सभी हर साल आने वाले 20 से 25 लाख मुकद्दमों का फैसला करते हैं। यदि किसी जिले में हर वर्ष 5000 मुकद्दमें या मामले आते हैं और मान लीजिए, 5 वर्षों में 25,000 मुकद्दमें आते हैं तो जज प्रणाली(सिस्टम) में लगभग 20-25 जजों द्वारा उन्हें निपटाया जाता है।

जूरी सिस्टम में, संख्याओं का 1800 से 2000 गुणा ज्यादा होने से, जूरी सिस्टम में मिली-भगत, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अवसर बहुत ही कम हो जाते हैं । जूरी-वकील की मिली-भगत की संभावना जज-वकील की मिली-भगत की तुलना में बहुत ही कम होती है क्योंकि जूरी मण्डल के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है।

आगे की चर्चा हम अगले विडियो, पार्ट-2 में करेंगे |

==========पार्ट-1 समाप्त==========

पिछले विडियो में हमने बात की थी कि कोर्ट में क्या समस्याएं हैं और इसका उपाय ,जूरी सिस्टम क्या होता है | जूरी सिस्टम में जज के बदले १५-२० क्रम-रहित तरीके से चुने गए

नागरिक फैसला करते हैं जज के बजाय |

## (5) <u>अब हम ये देखते हैं कि जज सिस्टम में भाई-भतीजावाद अथवा परस्पर( या आपसी) भाई-भतीजावाद तेज़ी से कैसे बढ़ जाते हैं |</u>

जिले के एक जज का कार्यकाल 3 से 4 वर्षों का होता है। यह वकीलों और संगठित अपराधियों के लिए सौदा करने के उद्देश्य से जजों के संबंधियों से संपर्क कायम करने के लिए एक लम्बा समय है। कई कोर्ट परिसरों में 2 या 2 से अधिक जज गठबंधन बना लेते हैं। जज **`क`**, जज **`ख`** के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जज **`ख`,** जज **`क`** के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है। इसे ही हम **परस्पर(या आपसी) भाई - भतीजावाद** कहते हैं।

जज सिस्टम में भाई-भतीजावाद या रिश्तेदारों के प्रति तरफदारी समाप्त करने के लिए, किसी जज के रिश्तेदार को उस जज के कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध है। अब प्रमुख बुद्धिजीवी लोग जोर देते हैं कि हमें यह मान लेना चाहिए कि इस प्रतिबंध से हमारे कोर्ट में भाई-भतीजावाद की संभावना ही समाप्त हो जाती है। देखिए, इस प्रतिबंध से कोई अंतर नहीं पड़ता है । आज तक जितने भी नामी बुद्धिजीवियों से मैं मिला हूँ, वे सभी कोर्ट में परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद की समस्या पर चर्चा करने तक का विरोध करते हैं। और आज तक जूरी सिस्टम ही कोर्ट में परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद का एकमात्र जाना हुआ समाधान है। यह परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद इतना बढ़ चुका है कि अपराधी और उद्योगपति केवल एकाध रिश्तेदार वकील से संपर्क रखते हैं और सभी फैसले अपने पक्ष में लेते रहते हैं और आम आदमी तो कोर्ट में पिसता ही रहता है। परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद ही वह महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों *सेज* जैसे क़ानून हाई-कोर्ट, सुप्रीम-कोर्ट में रद्द नहीं किए जा सके हैं ।

*जूरी सिस्टम में भाई-भतीजावाद और परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद ( जूरी सिस्टम की बनावट ऐसे होने से) असंभव है।* यह लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती किए जाने के समान है जिसमें भाई-भतीजावाद से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता।

जूरी सिस्टम में 15 से 20 जूरी-मंडल के सदस्यों को 5 लाख से लेकर 100 करोड़ तक की जनसंख्या में से चुना जाता है। क्योंकि इन जूरी-मण्डल के सदस्यों के पास केवल 1 ही मुकद्दमा होता है। इसलिए 99 प्रतिशत मुकद्दमें केवल 5 से 15 दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए पहले तो ऐसा होने की संभावना न के बराबर है कि कोई वकील इस दुनिया में मौजूद हो जो इन 12 जूरी-मण्डल के सदस्यों का रिश्तेदार हो अथवा इनमें से 6 अथवा यहां तक कि इनमें से किन्हीं दो के भी रिश्तेदार निकले। और उन्हें 15 दिनों के भीतर ही खोज निकालना इस कार्य को और अधिक कठिन बना देता है।

यदि सोचें तो, परस्पर(या आपसी) भाई–भतीजावाद, जूरी-सिस्टम में असंभव है ,क्यों कि इसके लिए जूरी `**क**` के 12 जूरी-मण्डल के सदस्यों और जूरी `**ख**` के 12 अन्य जूरी-मण्डल के सदस्यों को मिली-भगत बनाना होगा । मतलब जूरी `**क**` को जूरी `**ख**` के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेना होगा और जूरी `**ख**` **को** उन वकीलों का पक्ष लेना होगा जिनके रिश्तेदार जूरी `**क**` में हैं। वकीलों के ऐसे जोड़े और जूरी-सदस्यों के जोड़े ढूंढ़ना और 5 से 15 दिनों के भीतर सौदा कर पाना गणित के हिसाब से असंभव है।

दूसरे शब्दों में, जहां जज सिस्टम में भाई-भतीजावाद और परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद बहुत ज्यादा है, वहीं जूरी सिस्टम भाई-भतीजावाद और परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद से मुक्त है।

## (6) <u>अभी बात करते हैं कि कैसे परस्पर(या आपसी) भाई-भतीजावाद के कारण जज प्रणाली या सिस्टम में पेशेवर-अपराध बढ़ते हैं?</u>

एक विशेष प्रकार के अपराध पर विचार कीजिए। एक सड़क छाप अपराधी (आम तौर पर जिसे भाई या दादा कहा जाता है) या कोई भी पेशेवर-अपराधी जो खुलेआम और निडर होकर छोटे दुकानदारों से उन्हें सुरक्षित छोड़ देने के बदले हर महीने पैसा वसूली करता है। अमेरिका या यूरोप में भी अधिक अपराध वाले स्थान मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति दुकानदारों से खुलेआम पैसा वसूलते नहीं दिखता है । भारत में पेशेवर-अपराधी के बहुत ज्यादा होने का और पश्चिमी देशों में ऐसा बहुत कम दिखने का कारण है कि भारत में जज सिस्टम अपनाई गई है जबकि पश्चिमी देशों में जूरी सिस्टम अपनाई गई है । जज सिस्टम भारत के कोर्ट को मिली-भगत वाला बना देता है जबकि पश्चिमी अदालतों में जूरी सिस्टम ने मिली-भगत की स्थिति को बहुत ही कम कर दिया है।

आइए देखें कि कैसे जूरी सिस्टम पश्चिमी देशों के कोर्ट में मिली-भगत को कम करता है । 50 से 100 अपराधियों वाले एक अपराधी गैंग के एक मध्यम-स्तरीय पेशेवर-अपराधी पर विचार कीजिए। वह 5 से 10 क्षेत्रों में अपराध-कार्य चला रहा है। अब अपने अपराध को जारी रखने के लिए उसे और उसके गैंग के सदस्यों को, अनेक विधायकों, सांसदों, पुलिस अधिकारियों, अन्य अधिकारियों, सरकारी वकीलों और जजों आदि को मासिक घूस देने की जरूरत पड़ती है और उसे वकीलों, भाड़े के गुंडे आदि को समय-समय पर भाड़े पर लेने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। इन सभी कार्यों के लिए उन्हें हर महीने लाखों रूपए की *बंधी-बंधायी* लागत आती है।

अब ऐसे पेशेवर-अपराधियों को हमेशा ऐसे 5 से 10 शिकार *नहीं* मिल सकते जिससे उसकी सभी लागतों की भरपाई हो सके और हर महीने उसे लाभ मिल सके। इसलिए लगभग हमेशा ही पेशेवर-अपराधियों के गैंग को हर महीने सैकड़ों शिकार पर अत्याचार करना

पड़ता है। मतलब, एक कैरियर-अपराधी और उसके गैंग के सदस्यों को हर महीने सैकड़ों अपराध करने पड़ते हैं। इतने अधिक अपराधों के शिकार लोगों में से लगभग 20 से 30 लोग ही कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएँगे । इससे लगभग 300 से 400 कोर्ट के मुकद्दमें हर साल बन जाते हैं एक आम गैंग के खिलाफ । अब यहीं पर पेशेवर-अपराधियों से निबटने में जज सिस्टम और जूरी सिस्टम का अन्तर सामने आता है।

## अभी जूरी सिस्टम और जज सिस्टम में पेशेवर-मुजरिमों की स्तिथि की तुलना करते हैं

जज सिस्टम में, मान लीजिए, किसी गैंग मालिक के खिलाफ 4-5 वर्षों में लगभग 1000 मुकद्दमें दर्ज हुए। ये सभी मामले केवल 5 से 10 जजों के ही पास जाऐंगे। इस प्रकार मामलों में देरी करवाकर गवाहों को तोड़ने-खरीदने अथवा तत्काल छूटकारे के लिए गैंग नेता को केवल 5 से 10 जजों से सांठ-गाँठ या मिली-भगत बनाना पड़ेगा । यदि गैंग मालिक 5-10 जजों के साथ मिली-भगत कायम करने में किसी तरह कामयाब हो जाता है तो वह 99 प्रतिशत मुकद्दमों में रिहाई या विलम्ब कराने में सफल हो सकता है।

जूरी सिस्टम में हर मुकद्दमा 15 से 20 अलग-अलग जूरी-मण्डल के सदस्यों के पास जाता है जो जिला, राज्य और राष्ट्र से क्रमरहित या अंधा-धुंध तरीके से चुने गए होते हैं। इस प्रकार, ये 1000 मुकदाम्मों के लिए 15,000 से 20,000 जूरी-सदस्य जिले, राज्य या राष्ट्र में से चुने जाऐंगे। जूरी सिस्टम में लम्बा विलम्ब शायद ही कभी होता है और हरेक जूरी-सदस्य को केवल एक ही मुकद्दमा दिया जाता है। 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक एक जूरी-मंडल के पास सुनवाई के लिए एक ही मुकद्दमा होता है और ज्यादातर अगली तारीख अगले दिन की ही होती है। और इसमें गैंग मालिक को 20,000 जूरी-मण्डल के सदस्यों के साथ मिली-भगत बनानी पड़ेगी । इसलिए, 5 वर्षों में 1000 मुकद्दमों में रिहाई प्राप्त करने के लिए गैंग नेता को 20,000 जूरी- मण्डल के सदस्यों के साथ मिली-भगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी।

इस प्रकार, जूरी सिस्टम में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत मुकद्दमों में भी रिहाई करवा पाना असंभव ही है। दूसरे शब्दों में, भारत के कोर्ट में बड़ी संख्या में मुकद्दमें कुछ ही लोगों (अर्थात जजों) द्वारा सुलझाए जाते हैं, इसलिए पेशेवर-अपराधियों ने जजों के साथ मिली-भगत बना ली है और वे आजादी से आपराधिक काम करते रहते हैं । जबकि पश्चिमी देश बहुत अधिक लोगों का उपयोग मुकद्दमों को सुलझाने में करते हैं जिससे काफी अधिक संख्या में मुकद्दमों में सांठ-गाँठ या मिली-भगत कायम करना असंभव होने की हद तक कठिन हो जाता है। इसलिए, पश्चिमी देशों में पेशेवर-अपराध जैसे जबरन वसूली समाप्त हो गए हैं।

## (7) अब हम जज-वकील की सांठ-गाँठ या मिली-भगत और जूरी-वकील की सांठ-गाँठ या मिली-भगत की बात करते हैं

भारत के कोर्ट जज-वकील की सांठ-गाँठ या मिली-भगत से भरे पड़े हैं। जजों और संबंधी वकीलों के बीच की मिली-भगत अब अपवाद के स्थान पर कानून ही बन गया है। लेकिन इससे हटकर भी कई जजों की मिली-भगत वैसे वकीलों से भी रहती है जो उनके रिश्तेदार नहीं होते। यह जज-वकील साँठ-गाँठ कैसे पैदा होती है? पश्चिमी देशों के कोर्ट में किसी ने भी कभी जूरी-वकील की साँठ-गाँठ नहीं देखी है। इसका कारण बनावटी ढ़ांचा है न कि संस्कार |

मान लीजिए, 5 वरिष्ठ वकीलों के साथ 20 जूनियर या छोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए, ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगभग 1000 मुकद्दमें 4 वर्षों की अवधि में लेते हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों के लिए उस जिले में लगभग 20 जज तैनात किए जाते हैं। फिर 3 से 6 महीनों के भीतर, ये 5 वकील इन 10 से 20 जजों के साथ साँठ-गाँठ या मिली-भगत बना सकते हैं।

अभी यदि जूरी सिस्टम लागू है तो ,ये मुकद्दमे एक वर्ष में 20,000 जूरी-मण्डल के सदस्यों के पास जायेंगे । इनमें से 2 प्रतिशत के साथ भी ऐसे साँठ-गाँठ या मिली-भगत बनाने का समय नहीं होगा क्योंकि एक मामला 15 से 20 दिनों में ही समाप्त हो जायेगा ।

जब किसी मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान, कोई वकील किसी जज के साथ साँठ-गाँठ बना लेता है तो उस जज का साथ, उस वकील के लिए उन सभी मामलों में निश्चित ही उपयोगी साबित होगा, जो मामले उस जज के सामने आएंगे। लेकिन जूरी सिस्टम में यदि कोई वकील किसी मामले की सुनवाई के दौरान 20 जूरी-सदस्यों में से 15 के साथ भी किसी प्रकार मिली-भगत कायम कर लेता है तो इन जूरी-मण्डल के सदस्य के साथ उसकी ये मिली-भगत उस वकील के अन्य सभी मुकद्दमों में बिलकुल भी काम नहीं आएगी क्योंकि हरेक सुनवाई के बाद जूरी-मण्डल के सदस्य बदल जाया करेंगे।

## (8) अब देखते हैं कि कैसे जूरी प्रणाली (सिस्टम) में भ्रष्टाचार कम हो जाता है

जज सिस्टम में ज्यादातर भ्रष्टाचार संगठन वाले अपराधियों अथवा बड़े कॉरपोरेट लोगों के जरिए होता है जिनके किसी भी राज्य में, उनके खिलाफ सैंकडों मुकद्दमें होते हैं। ये मुकद्दमें निचली अदालतों में 100 से 300 जजों के पास जाते हैं। इसलिए, बड़े-बड़े अपराधी और कॉरपोरेट या फैक्टरी के मालिक 15 से 50 ऐसे वकीलों के साथ साँठ-गाँठ बना लेते हैं जो या तो इन जजों के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं या किसी अन्य प्रकार से इन जजों के साथ सम्बन्ध होते हैं ।

अब, जूरी सिस्टम में ये सैंकडों मामले हजारों जूरी-मण्डल के सदस्यों के पास जाएंगे। उदाहरण – यदि किसी गैंग मालिक और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ किसी राज्य में 100 मामले हैं, तो ये मामले 2000 जूरी-मण्डल के सदस्यों के पास जाएंगे। एक राष्ट्र-स्तरीय कॉरपोरेट या फैक्टरी-मालिक के खिलाफ भारत भर में एक वर्ष में 1000 मुकद्दमें होंगे और उन्हें भारत भर में एक वर्ष में 20,000 जूरी-मण्डल के सदस्यों से लड़ाई लड़नी होगी। कोई भी गैंग मालिक अथवा कम्पनी इतने ज्यादा नागरिकों को घूस देने में सफल नहीं हो सकते हैं । इसलिए वे ऐसा करने का प्रयास छोड़ देंगे ।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, पुलिस सेवकों के तुलना में, 10 से 100 गुना ज्यादा भ्रष्ट हैं | केवल यातायात पुलिस वाले का भ्रष्टाचार जनसाधारण को दिखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार दिखता नहीं है | और ऊपर से `कोर्ट की मानहानी` द्वारा जज किसी को भी बंदी बना लेते हैं जो उनपर आरोप लगाते हैं, आरोप सही भी हों तो भी |

इसके अलावा, जज सिस्टम में एक जज को रिश्वत देने के बाद उस जज को अपना वायदा पूरा करना पड़ता है नहीं तो उसे फिर से रिश्वत नहीं मिलेगी। जूरी सिस्टम में जूरी-मंडल के सदस्य प्रत्येक मामले के साथ ही बदल जाते हैं और फिर उस जूरी-मंडल का कोई सदस्य अगले कई वर्षों तक जूरी में वापस नहीं आ सकता। इसलिए रिश्वत देने वाले के लिए यह निश्चित नहीं होता कि जूरी-मंडल का वह सदस्य अपना वायदा पूरा करेगा और बहुत बार, अपराधियों के खिलाफ नफरत होने के कारण, जूरी-मंडल का सदस्य रिश्वत ले लेने के बावजूद भी किसी अपराधी को सजा दे ही देगा। क्योंकि रिश्वत लेने के बाद भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता।

## (9) अब देखें कि <u>कैसे जूरी सिस्टम में पुलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो जाता है?</u>

ज्यादातर पुलिसवाले और अधिकारी ,वर्षों से सेवा में होने के कारण जजों के संपर्क में आ जाते हैं। लगभग हर पुलिसवाला और अधिकारी यह जानता है कि किसी जज की अदालत में उसके खिलाफ कोई मुकद्दमा होने पर, उस जज के किस रिश्तेदार वकील से संपर्क करना होगा। और उनके वर्षों के मिली-भगत और संबंध होते हैं। वह रिश्तेदार वकील पुलिसवालों और जजों से मिलने वाली उपकार या फायदों के बदले उपकार या फायदा देने का व्यापार करता है। और इसलिए पुलिसवाले और अधिकारी अपने उपर किए गए मुकद्दमों से आसानी से बच निकलते हैं।

लेकिन, जूरी सिस्टम में पुलिसवालों और अधिकारियों को उन जूरी-मण्डल के सदस्यों के खिलाफ लड़ना होता है जो भ्रष्ट पुलिसवालों और अधिकारियों से नाराज होते हैं। और

उनका इन हजारों जूरी-मण्डल के सदस्यों के साथ कोई मिली-भगत भी नहीं होती। इसलिए, जूरी सिस्टम में इस बात की संभावना अधिक होती है कि भ्रष्ट पुलिसवालों और अधिकारियों को सजा मिलेगी। यही कारण है कि जूरी सिस्टम आने से पुलिस, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों में भ्रष्टाचार कम हो जाता है।

## (10) अब देखते हैं कि किन देशों में जूरी सिस्टम है

ऐसे लगभग 15 बड़े देश ऐसे हैं जहां जूरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है – कनाडा, अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलैण्ड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड। तीन अन्य देश भी इस सूची में जोड़े गए हैं – रूस के लगभग 25 प्रतिशत जिलों में अब जूरी सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा है और चीन और जापान ने भी अब जूरी सिस्टम शुरू कर दिया है। और लगभग 90 देशों में जज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जज सिस्टम का प्रयोग करने वाले हर एक देश के कोर्ट भ्रष्ट हैं, पुलिसवाले भ्रष्ट हैं और नेता भी भ्रष्ट है [ सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताईवान और इजराइल ऐसे 4 अपवाद वाले देश हैं जहां भ्रष्टाचार कुछ कम है(अन्य स्थानीय कारणों के वजह से ) लेकिन फिर भी जूरी सिस्टम वाले 15 देशों से उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है] । रूस ,चीन और जापान को भी अपने यहां की अदालतों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की समस्या के कारण जूरी सिस्टम लागू करना पड़ा था। और दक्षिण कोरिया ने भी अप्रैल, 2008 में ऐसा ही किया। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भी ऐसी चीज है जो शत-प्रतिशत आपसी-संबंध दर्शाती है तो वह यह है कि जूरी सिस्टम में हमेशा भ्रष्टाचार में कमी आती जाती है और जज सिस्टम में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद हमेशा ही बढ़ता रहता है।

आगे की चार्चा हम अगले विडियो, पार्ट-3 में करेंगे |

==========पार्ट-2 समाप्त==========

पिछले विडियो में हमने बात की थी कि जूरी सिस्टम कैसे भाई-भातिजेवाद, मिली-भगत समाप्त करता है और कैसे जूरी सिस्टम पोलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करता है, जज सिस्टम की तुलना में |

## (11) अभी जूरी सिस्टम का इतिहास देखते हैं

पुराने जमाने में, जूरी सिस्टम या भ्रष्ट को आम-नागरिकों द्वारा सज़ा देने के तरीके थे, ऐसे संकेत मिलते हैं | दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ` राजा प्रजा अधीन होना चाहिए वरना वो आम जनता को उसी तरह खा जायेगा जिस तरह शेर हिरन को

खा जाता है | वो ऐसा अन्यायपूर्ण दंड या अन्यायपूर्ण सज़ा द्वारा करेगा |` यहाँ `राजा` से मतलब राजवर्ग या प्रशाशन चलाने वाले हैं जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, अफसर आदि ., और `अधीन` का मतलब है कि आम-नागरिक के पास बदलने या सज़ा देने का अधिकार होना चाहिए उन भ्रष्ट अधिकारीयों को, जो देश को चला रहे हैं | जूरी सिस्टम और अन्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के कारण हमारा देश उस समय संपन्न-खुशहाल था, लेकिन ये खुशहाली बाद में कम हो गयी जैसे ये प्रक्रियाएँ या तरीके गायब हो गए |

रोम में मजिस्ट्रेटों का चयन होता था और वहां बड़े अपराधों के लिए जूरी सिस्टम का प्रयोग होता था जिससे पड़ोस के देशों की तुलना में वहां बहुत ही कम भाई–भतीजावाद और कम भष्टाचार वाला शासन कायम हुआ। यही कारण था कि रोम अन्य देशों की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन रोम का पतन हो गया जिसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से, गुलामों को वोट देने का अधिकार नहीं था और जूरी-सदस्य बनने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण गुलामों पर बहुत अत्याचार होते थे और फिर बाद में उन्होंने विद्रोह किया । इसके बाद के हरेक शासन में राजा या राजा द्वारा तैनात किए गए अधिकारीयों के द्वारा सजा सुनाई जाती थी।

वर्ष 1200 में, इंग्लैण्ड पहला राष्ट्र बना जिसने इस व्यवस्था को उलट दिया – और *मैग्ना कार्टा* में यह घोषणा की, कि राजा के ऐजेन्ट अब केवल आरोप ही लगाएंगे और नागरिक (यानी जूरी-सदस्य) ही दोषी होने या न होने का फैसला करेंगे और सजा सुनाएंगे। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जिससे शासकों और प्रजा के बीच के संबंधों में पूरी तरह से बदलाव आ गया। अब राजा या शासक के पास बन्दी बनाने अथवा यहां तक कि जुर्माना लगाने का भी अधिकार नहीं रह गया था | इसी जूरी सिस्टम का ही यह परिणाम हुआ कि अब कारीगर और व्यापारी, अपने आप को राजा के आदमियों के मनमाने शासन से अपना बचाव कर पाए और प्रगति होनी शुरू हो गई। केवल इसी कारण से इंग्लैण्ड में कारीगर सम्पन्न हो गए और उनमें से कुछ बाद में चलकर उद्योगपति बन सके ।

**इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति या बड़ा बदलाव इसी जूरी सिस्टम के कारण ही आई -** जूरी-मंडल के सदस्यों ने कारीगर, व्यापारियों और उद्योगपतियों को राजाओं और उनके आदमियों के मनमाने जुर्माने से बचाया और इस प्रकार जूरी-मण्डल के सदस्य ने इन्हें धनवान बनने में मद्दद की । बोले गए पुनर्जागरण(यानी सोये हुए का फिर से जागना) की कहीं कोई भूमिका या महत्त्व नहीं था। इंग्लैण्ड ने जो तरक्की की, यदि उसके लिए पुनर्जागरण जिम्मेवार था तो बताएं कि ऐसी प्रगति इटली ने क्यों नहीं की जहां कि पुनर्जागरण सबसे पहले आया? बुद्धिजीवियों ने यह बताने के दौरान कि यूरोप ने सारी दुनियां पर कैसे कब्जा कर लिया, जानबुझकर जूरी सिस्टम की भूमिका को दबा दिया है क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि छात्र जूरी सिस्टम के बारे में जानें ताकि ऐसा न हो कि वे इस सिस्टम की मांग ही न करने लगें ।

## (12) अब जूरी सिस्टम और सूचना-संबंधी कारक के बीच में सम्बन्ध देखेंगे

कानून केवल एक सामान्य ज्ञान है | बुद्धिजीवी या कु-बुद्धिजीवी ये गलत प्रचार किया करते हैं कि कानून एक मुश्किल विषय है लेकिन एक अनपढ़ भी क़ानून आसानी से समझ सकता है | जूरी-विरोधी और जज-समर्थक लोगों द्वारा एक आपत्ति यह जताई जाती है कि जूरी-मंडल के सदस्यों को कानून की जानकारी कम होती है। यह आपत्ति सही नहीं है – जूरी-सदस्य और जज दोनों को ही न्याय, सही-गलत आदि की बुनियादी बातों की पूरी जानकारी होती है। एक और केवल एक अंतर यह है कि जजों को (कानून की) धाराओं की संख्या और सजा की लम्बाई की सही-सही जानकारी ज्यादा होती है। उदाहरण – जज और जूरी-सदस्य दोनों ही यह जानते हैं कि हिंसा अपराध है, पैसे के लिए की गई हत्या, गुस्से के कारण हुई अचानक हिंसा से ज्यादा बुरी होती है।

लेकिन जूरी-सदस्य को शायद विशेष जानकारी के बारे में नहीं भी पता हो - जैसे कि यह अपराध किस धारा के तहत आएगा या ऐसे किसी अपराध में ज्यादा से ज्यादा 5 साल, या 14 साल या 6 महीने या कितनी लंबी सजा हो सकती है ,आदि । लेकिन ऐसे विशेष जानकारियों को जानकर उपयोग में लाना आसान होता है और वैसे भी ये वकीलों द्वारा बता भी दिए जाएँगी।

जज-समर्थक,जूरी-विरोधी लोग दूसरी बातें – जैसे जज धीरे-धीरे वकीलों और धनवान लोगों के साथ बहुत मजबूत साँठ-गाँठ बना लेते हैं और रिश्तेदार वकीलों के जरिए रिश्वत भी लेते हैं – का जिक्र तक नहीं करते।

## (13) अभी, सभी राजनैतिक दलों, बुद्धिजीवियों की, जूरी सिस्टम पर क्या राय है देखेंगे

हम यह चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक इस बात पर ध्यान दें कि सभी राजनैतिक दलों के वर्तमान सांसदों ने और भारत के सभी बुद्धिजीवियों ने जूरी सिस्टम का विरोध किया है और जोर दिया है कि केवल जज ही फैसला सुनाने का काम करेंगे और इस तरह यह सुनिश्चित किया है कि कोर्ट में भाई-भतीजावाद या रिश्तेदारों की तरफदारी चलती रहे । हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक और भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यकर्ता ध्यान दें कि हमलोग **एकमात्र** समूह हैं जो जजों के भाई-भतीजावाद पर रोक लगाने में रूचि रखते हैं। अन्य समूह या पार्टी के नेतगण कोर्ट में भाई-भतीजावाद की इस समस्या का अपने चुनाव घोषणापत्रों में जिक्र तक करने का कष्ट उठाना नहीं चाहते।

यह समझना कठिन नहीं है कि क्यों दलों के नेता और बुद्धिजीवी लोग जज सिस्टम का समर्थन और जूरी सिस्टम का विरोध करते हैं। कई बुद्धिजीवियों के रिश्तेदार जज होते हैं और इसलिए वे सभी बुद्धिजीवी जज सिस्टम का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, विशिष्ट या ऊंचे लोग भी केन्द्रीयकृत, यानी एक स्थान में जमा किया हुआ, जज सिस्टम चाहते हैं और फैला हुआ ,विकेन्द्रीकृत जूरी सिस्टम नहीं चाहते। इस समय भारत में 13000 जज हैं और वे हर वर्ष लगभग 13 लाख मुकद्दमें सुलझाते हैं। अब मान लीजिए, विशिष्ट,ऊंचे वर्ग का कोई व्यक्ति किसी जिले अथवा राज्य में धंधा करता है। मान लीजिए, उसके खिलाफ हर साल 20 मुकद्दमें दर्ज होते हैं अथवा 30 वर्षों की अवधि में 600 मुकद्दमें दर्ज होते हैं। अब कानून की परवाह न करने वाले इस विशिष्ट या ऊंचे वर्ग के व्यक्ति को इन 600 मुकद्दमों से निबटने के लिए केवल 10-20 जजों के साथ सेट्टिंग करना होता है। यदि जूरी सिस्टम लागू होती है तो उसे क्रम-रहित तरीके से चुने गए 12,000 जूरी सदस्यों के साथ सेट्टिंग करना होगा कुछ ही दिनों में, जो लगभग असंभव काम है। दूसरे शब्दों में, जूरी सिस्टम में कानून की परवाह न करने वाले विशिष्ट या ऊंचे लोगों का जीवन कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। *बुद्धिजीवी लोग इन विशिष्ट या उंचे लोगों के ऐजेंट होते हैं और इसीलिए वे जज सिस्टम का समर्थन करते हैं और जूरी सिस्टम का विरोध करते हैं।*

सभी पार्टियों के नेताओं ने कोर्ट में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा तक करने से मना कर दिया है, उनका समाधान करना तो दूर की बात है। हम लोग सभी नागरिकों से विनती करते हैं कि वे अपनी-अपनी पार्टी के प्रिय नेताओं से जजों में भाई - भतीजावाद, जजों में भ्रष्टाचार, आदि मुद्दों पर प्रश्न पूछें और तब यह निर्णय करें कि क्या वे नेता वोट दिए जाने के लायक हैं ? और हम कार्यकर्ताओं से विनती करते हैं कि वे बुद्धिजीवियों से इन मुद्दों पर प्रश्न पूछें और निर्णय करें कि क्या वे बुद्धजीवी मार्गदर्शक बनने के योग्य हैं ?

## (14) अभी कोर्ट के नाटक के बारे में बात करते हैं |

इस विषय पर पूरा लेख कृपया www.righttorecall.info/courtnaatak.pdf में पढ़ें |

### 14.1 बिना भ्रष्ट को सजा हुए कोर्ट के मुकदमे केवल एक नाटक हैं, जो वास्तविक कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं |

जब तक नेताओं, अधिकारीयों आदि को सज़ा नहीं होगी, तब तक उन्हें भ्रष्टाचार करने से डर नहीं लगेगा और वे भ्रष्टाचार करना बंद नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा |

बिना भ्रष्ट को सज़ा हुए कोर्ट के मुकदमे केवल एक नाटक हैं, जो वास्तविक कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं |

15 सालों से सुब्रमनियम स्वामी के कोर्ट के कार्यवाही में कोई भी नेता या बड़े अधिकारी को सज़ा नहीं हुई है |

सुब्रमनियम स्वामी बोलते हैं कि वे कोर्ट के द्वारा भ्रष्ट को सज़ा देंगे और भ्रष्टाचार कम करेंगे लेकिन एक भी कोर्ट द्वारा माने जाने वाला प्रमाण उनके पास नहीं है, जो ये सिद्ध कर सके कि चिदमबरम आदि नेताओं ने रिश्वत ली है या उन नेताओं को कैसे फायदा हुआ है घोटालों द्वारा | पिछले 15 सालों से सुब्रमनियम कोर्ट के मुकदमे लड़ रहे हैं लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा सके हैं | सुब्रमनियम केवल मीडिया में ही बोलते हैं कि चिदंबरम ने इतने पैसे रिश्वत में लिए हैं और उनके फलाना बैंक में, फलाना खाते नंबर में, जमा है ; वे कोर्ट में नहीं बोलते | क्यों ? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है |

इसको कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, उस विदेशी बैंक के डायरेक्टर को भारत के कोर्ट में आ कर गवाही देनी होगी | लेकिन ये असंभव है क्योंकि उन विदेशी बैंकों की ये नीति नहीं है कि उनके गुप्त खातों की जानकारी सार्वजानिक की जाए | और उन्होंने ए.राजा, चिदंबरम आदि का सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज से नार्को की मांग करने से भी इनकार कर दिया है |

## 14.2 ज्यादातर घोटाले जो सुब्रमनियम स्वामी दावा करते हैं खुलासा करने का, पहले से ही जनता को मालूम थे |

उदहारण 2-जी घोटाले को लीजिए | ए.राजा ने मीडिया के सामने केवल कुछ ही घंटे दिए थे अर्जी और करोड़ों का चैक जमा करने के लिए, `पहले आओ पहले पाओ` योजना के शर्तों के तहत, 2-जी का लायसेंस पाने के लिए |

जिनको पहले से ही जानकारी दी गयी थी ए.राजा द्वारा, वे पहले से ही चेक और दूसरे दस्तावेजों के साथ तैयार थे |

अभी तक केवल कुछ नेताओं को जांच के लिए जेल हुई है, लेकिन जेल में भी उन्हें पांच सितारा होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं और वे कुछ ही दिनों में छूट जाते हैं | इसीलिए, ऐसे कोर्ट के नाटकों से भ्रष्टाचार कभी भी कम नहीं होगा |

## 14.3 अब सुब्रमनियम स्वामी और सोनिया गाँधी की बात करते हैं

स्वामी ने दिल्ली के एक होटल में एक बहुचर्चित चाय पार्टी का आयोजन किया | इसमें सोनिया और जयललिता दोनों आमंत्रित थीं | इसके बाद ए.आई.ए.डी.एम.के ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अप्रैल 1999 में भाजपा सत्ता से बेदखल हो गई |

http://www.tehelkahindi.com/indinoo/national/1113.html

सोनिया गाँधी ने अपनी डिग्री का एक झूठा एफिडेविट दिया था चुनाव आयोग को, जिसके खिलाफ सुब्रमनियम स्वामी ने 2004 में हाई-कोर्ट में मामला दर्ज किया था | और इसी कारण से जज दूसरों को वैसे ही मामले दर्ज करने से रोक सके क्योंकि जज एक ही प्रकार के जनहित याचिकाएं या तो लेते नहीं हैं या तो उन्हें एक साथ इकट्ठा कर देते हैं |

सुब्रमनियम ने ये स्पष्ट किया था जन-हित याचिका में कि उसकी सोनिया के खिलाफ शिकायत उसपर जुर्माना डालने के लिए थी, ना कि सोनिया के चुनाव को रद्द करने के लिए |

http://news.outlookindia.com/printitem.aspx?474299

सोनिया गाँधी ने उसे एक "गलती" बताया और माफ़ी मांगी और जज ने उस मामले को ख़ारिज कर दिया ! झूठी एफिडेविट देनी की सज़ा 6 महीने जेल हो सकती है और दोषी को चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है 6 सालों के लिए |

सुब्रमनियम ने ना तो सोनिया गाँधी को सज़ा देने की मांग की, ना ही उस जज को हटाने की मांग की थी |

सुब्रमनियम और उनके भक्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज बहुत ईमानदार जज हैं हालाँकि हम सोचते हैं कि जज पोलिस के हवलदार से ज्यादा भ्रष्ट हैं | फिर सुब्रमनियम क्यों नहीं सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज से सोनिया गाँधी के झूठी एफिडेविट का मामला दोबारा खोलने और सोनिया गाँधी पर 6 महीनों की सज़ा देने के लिए कहते ? और सुप्रीम-कोर्ट कोई भी पिछले मामले को खोल सकती है बिना कोई बंधन के |

इसीलिए सुब्रमनियम स्वामी और अन्य नेताओं या बुद्धिजीवियों के प्रशंसको से विनती करें कि सुब्रमनियम और अन्य नेताओं को खुले-आम बोलें कि वे 15 दिनों के अंदर, जज से मांग करें कि सोनिया गाँधी को झूठी एफिडेविट देने के लिए 6 महीनों के लिए तुरंत जेल में डालें |

ये देश को इस तरह से लाभ करेगा -

पहला लाभ. यदि सुब्रमनियम स्वामी और अपने प्रिय नेताओं को मानने वाले ये पूछने से मना कर देते हैं, तो ये स्पष्ट हो जायेगा कि सुब्रमनियम और अपने प्रिय नेताओं के मानने

वालों को सुब्रमनियम और अपने प्रिय नेताओं के नाम की ज्यादा परवाह है, देश की परवाह नहीं है |

दूसरा लाभ. यदि सुब्रमनियम के मानने वाले सुब्रमनियम से विनती करते हैं, सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज को कहकर सोनिया गाँधी को जेल की सज़ा करवाने के लिए, फिर या तो सुब्रमनियम मानेंगे या नहीं मानेंगे | यदि सुब्रमनियम मना कर देते हैं, तो कम से कम सुब्रमनियम के मानने वालों को पता चलेगा कि सुब्रमनियम का इरादा सोनिया गाँधी का नुक्सान करना नहीं है, सोनिया को बचाना है |

3. यदि सुब्रमनियम सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज को सोनिया गाँधी को जेल की सज़ा देने के लिए कहते हैं और जज सोनिया गाँधी को कोई भी सज़ा नहीं देते, तो हमें पता चल जायेगा कि सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज कितना ईमानदार है |

4. और यदि सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज सोनिया गाँधी को झूठी एफिडेविट देने के लिए जेल की सज़ा देते हैं, तब सुब्रमनियम स्वामी और सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज की जय-जय कार होगी --- और देश का भला हो जायेगा |

इसलिए भारत माता को उपकार कीजिये | कृपया सुब्रमनियम के सभी मानने वालों को बोलें कि 15 दिनों में सुब्रमनियम सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जज को कहें कि सोनिया गाँधी के खिलाफ शिकायत दें और एक महीने से पहले सोनिया गाँधी को जेल की सज़ा का फैसला सुनाएं |

2-जी घोटाले में भी सुब्रमनियम ने सोनिया गाँधी की मदद की द्रमुक नेताओं को जेल करवाकर ताकि कांग्रेस मंत्रालय के अंदर मजबूत बन सके | सुब्रमनियम राईट टू रिकॉल की प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं ताकि सभी पार्टियों के भ्रष्ट सांसद सुरक्षित रह सकें | यदि राष्ट्रिय सलाहकार आयोग के अध्यक्ष पर राईट टू रिकॉल आ जाता है, तो सोनिया को भी आम-नागरिक हटा सकते हैं | सुब्रमनियम दावा करते हैं कि वे सोनिया के खिलाफ हैं लेकिन उनके सारे कार्य सोनिया और कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की मदद करते हैं |

सुब्रमनियम ने 122 स्पैक्ट्रम के लायसेंस को रद्द करनी की मांग की थी क्योंकि उसमें कोई बोली नहीं लगायी गयी थी | देखिये, स्पैक्ट्रम की बोली तो 2003 में भी नहीं लगायी गयी थी | 2003 में भी `पहले आओ , पहले पाओ` के नियम के अनुससार लायसेंस दिए गए थे कई कंपनियों को, लेकिन उनके लायसेंस रद्द नहीं हुए हैं | क्या हमें वो सब स्पैक्ट्रम जो बोली के बिना दिए थे जब्त नहीं कर लेना चाहिए ?

यदि मंत्री भ्रष्ट है, तो हमें मंत्री को जेल में डालना चाहिए | और हमें उस व्यक्ति को भी जेल की सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने रिश्वतें दी हैं , जैसे रिश्वत देने वाले कंपनियों के मालिक

आदि | और हम को रिश्वत का पैसा वापस लाना चाहिए | लेकिन ये सब सुब्रमनियम के लिए “बाद में “ आता है ---- सुब्रमनियम तो पहले यूनिनोर के लायसेंस रद्द करवाना चाहता है और दूसरे कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहता है !!

तो फायदा किसको हुआ ? फायदा तो वोडाफोन, आदि अमेरिकी और अंग्रेजों की कंपनियों को हुआ | ये तो साफ़ दिखता है कि वोडाफोन का 122 लायसेंस रद्द करवाने में अपना स्वार्थ है |

और नुकसान किसको हुआ ? नुकसान देश के आम-आदमी को हुआ | 2007 से वोडाफोन आदि ने फोन करनी की कीमतें ऊंची रखीं हैं | कीमतें यूनिनोर , सियेस्ता आदि के कारण ही गिरीं आपसी मुकाबला बढ़ने के कारण | आम आदमी को जो ये कीमतें गिरने से फायदा मिला था, वो अब नहीं मिलेगा |

सोनिया गाँधी को नुक्सान पहुचाने का सबसे अच्छा तरीका सुब्रमनियम की पूजा करना नहीं है, लेकिन राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री के ड्राफ्ट का प्रचार करना है |

सुब्रमनियम कहते हैं कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कलाम को सोनिया के अवैद्य भारतीय नागरिकता के बारे में बताया था और फिर कलाम ने ये बात सोनिया को बताई थी , इसीलिए सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने का अपना इरादा बदल दिया और मनमोहन को प्रधानमंत्री बना दिया |

लेकिन यदि सुब्रमनियम सोनिया के अवैद्य भारतीय नागरिकता के बारे में जानता था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट से सोनिया का चुनाव रद्द करने की मांग क्यों नहीं की (विदेशी मूल का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है)

और कलाम 2004 से ही कह रहे हैं कि उन्होंने सोनिया के साथ कभी भी नागरिकता के बारे में नहीं बात की थी | ऐसा उन्होंने दो प्रेस सूचनाओं में, कई इंटरवियू में कहा था | ये प्रेस सूचनाएं कई बड़े समाचार पत्र जैसे हिंदू , टाईम्स ऑफ इंडिया, आदि में छापी गयी थी | उनके सचिव ने भी उसके रिटायर होने के बाद अपनी पुस्तक `दी कलाम इफेक्ट` में इस बात की पुष्टि की थी |
फिर क्यों सोनिया गाँधी को प्रधानमत्री ना बनने के लिए अपना मन बदलना पड़ा जब कलाम ने कभी भी नागरिकता का मुद्दा सोनिया के साथ चर्चा ही नहीं की थी ? क्योंकि लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों आम-नागरिक उसका विरोध कर रहे थे और उनमें से बहुत सारे सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और दिल्ली कूच कर रहे थे | ऐसी सूचनाएं हैं कि बहुत से लोगों ने छुट्टी ले ली थी और दिल्ली के लिए टिकेट भी ले लिया था |

ये आन्दोलन धीमा था लेकिन पूरे भारत में उभर रहा था | विदेशी कंपनियों के समूहों ने ये भांप लिया कि सोनिया के विदेशी मूल के खिलाफ बहुत विरोध है | इसिलए विदेशी कंपनियों के समूहों ने सोनिया गाँधी से कहा कि मनमोहन सिंह का नाम प्रस्ताव करे ,जो उनके प्रति उतना ही वफादार था |

और जिस समय सोनिया गाँधी ने ये घोषित किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती और उसके बदले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सोनिया गाँधी के खिलाफ आन्दोलन बिखर गया |

इससे ये सिद्ध होता है कि यदि करोड़ों आम-नागरिक एक ही चीज की मांग करते हैं, तो वे नेताओं या तानाशाओं को भी मजबूर कर सकते हैं, उनकी मांग पूरी करने के लिए | इसी तरह हमें आजादी मिली थी , जब करोड़ों आम-नागरिक और लाखों सैनिकों ने आजादी की मांग की थी और अंग्रजों को भारत से भागना पड़ा था |

**इसी तरह , यदि लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों आम-नागरिक राईट टू रिकॉल, पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली, जूरी सिस्टम , सेना और नागरिकों के लिए खनिज आमदनी, और अन्य जन-हित के क़ानून-ड्राफ्ट की मांग करते हैं, तो नेताओं और प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा उसे भारतीय राजपत्र में डालने के लिए** |

## 14.4 अभी जनहित याचिका के फिक्सिंग या पूर्व-निर्धारण के बारे में बात करते हैं - कैसे कोर्ट के मामले चोरी करके बरबाद किये जाते हैं

भ्रष्ट विदेशी कंपनियों के समूह या लॉबी ये सुनिश्चित करते हैं कि जज केवल उन्हीं व्यक्तियों की जनहित याचिका आने देंगे, जिन्हें ये भ्रष्ट विदेशी कम्पनियाँ उनके द्वारा प्रायोजित , बिकी हुए मीडिया द्वारा श्रेय दिलवाना चाहते हैं | ये विदेशी कंपनियों के लॉबियां जजों से अपने काम निकालती हैं उनके रिश्तेदारों को अपने यहाँ नौकरी देकर और उन्हें साल के करोड़ों रुपये देकर या जजों का कोई और काम करवा कर | जनहित याचिका इस आधार पर स्वीकार नहीं की जाती कि उसमें क्या लिखा है लेकिन याचिका को कौन व्यक्ति दे रहा है, उसके आधार पर स्वीकार या अस्वीकार की जाती है |

### 14.4.1 इसका पहला उदहारण देखिये

2003 में राजीव दीक्षित जी ने एक जनहित याचिका डाली थी मौरिशियस मार्ग बंद करने और टैक्स की चोरी मौरिशियस मार्ग द्वारा रोकने के लिए | लेकिन सुप्रीम-कोर्ट ने उनकी जनहित याचिका को रद्द कर दिया और ये संविधान के खिलाफ फैसले ने मौरिशियस टैक्स चोरी के मार्ग को जारी रखा |

http://www.hindu.com/biz/2003/11/17/stories/2003111700010300.htm

### 14.4.2 एक उदहारण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे सेतुसमुद्रम की जनहित-याचिका पूर्व-निर्धारित (फिक्स) की गयी और रामसेतु मुद्दे को सुब्रमनियम ने चुरा लिया

## था और विदेशी कंपनियों ने अपने प्रोजित मीडिया और जजों द्वारा अपने एजेंट सुब्रमनियम को हीरो बना दिया

हम अकसर सुनते हैं सुब्रमनियम और `बिकी हुई मीडिया` से कि सेतुसमुद्रम योजना को रुकवाने का और रामसेतु को बचने का श्रेय सुब्रमनियम को जाता है | हम कुछ तथ्य देखते हैं |

1) सेतुसमुद्रम योजना भा.जा.पा-द्रमुक गठबंदन (एन.डी.ए.) द्वारा 2002 में शुरू की गयी थी | लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भा.जा.पा को मजबूर कर दिया था कि वे इस योजना को रोकें | इसके कारण भा.जा.पा-द्रमुक गठबंदन टूट गया था और जब भा.जा.पा. सत्ता में नहीं रही, तो उसने खुले-आम इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया |
सेतुसमुद्रम योजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है , ऐसा बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं | इसीलिए, ऐसी सम्भावना नहीं है कि ये सफलतापूर्वक लागू हो सके लेकिन अभी तक करोडों रुपये खर्च हो चुके हैं |
http://internationalpost.blogspot.com/2007/10/dream-and-reality-sethusamudram-ship.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sethusamudram_Shipping_Canal_Project

## 2) सेतुसमुद्रम योजना पर अन्यायपूर्वक तरीके से हो रही जनसुनवाई के विरुद्ध जनहित-याचिका ख़ारिज कर दी गयी |

ए.सुब्रमणि द्वारा लेख

चेन्नई,दिसम्बर 17, 2004
मद्रास हाई कोर्ट ने ये सेतुसमुद्रम जहाज नहर योजना पर अन्यायपूर्वक तरीके से हो रही जनसुनवाई के विरुद्ध जनहित याचिका को `समयपूर्व` कहते हुए ख़ारिज कर दिया और 6 समुद्रतटीय इलाकों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वो जनसुनवाई जल्दी से समाप्त करें |
http://www.hindu.com/2004/12/18/stories/2004121807760100.htm

सालों से , विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि

- ये योजना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है और वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग होना चाहिए
- ये योजना स्थानीय मछली पकड़ने का कार्य को नुकसान करेगा , उस स्थान के पर्यावरण को बरबाद करके

- रामसेतु करोडों हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और संविधान इसकी किसी प्रकार से हानि की स्वीकृति नहीं देता है

लेकिन कोर्ट स्थानीय लोगों की जनहित-याचिकाओं को नजरंदाज करते आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी वास्ता नहीं है लेकिन 2008 में सुब्रमनियम स्वामी आता है और वो बिलकुल ये ही मुद्दों पर बहस करता है और कोर्ट रोकादेश दे देते हैं !!!

क्यों ? कैसे ?

ये स्पष्ट है कि जजों ने सुब्रमनियम की जनहित-याचिका को स्वीकार किया, उनके विदेशी कंपनियों के प्रयाजकों के इच्छा अनुसार | और विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित मीडिया ने सुब्रमनियम को हीरो बना दिया और इस बात को दबा दिया कि इससे पूर्व, वर्षों से दूसरे लोग भी जनहित-याचिका की अर्जी दे रहे थे |

## 14.4.3 एक और जनहित-याचिका के पूर्व-निर्धारण (फिक्सिंग) का मामला देखिये

2 मार्च, 2012 को “अडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपने जनहित-याचिका में कहा था कि वोडाफोन टैक्स मामले में हितों का आपस में टकराव है क्योंकि सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज कपाड़िया का बेटा एक परामर्श देने वाली कंपनी में काम करता है, जिसने भूतकाल में अपनी सेवाएं वोडाफोन को दी थी और इसीलिए वोडाफोन टैक्स मामले के फैसले को अमान्य कर देना चाहिए”

“शर्मा ने कहा कि जज कपाड़िया उस बेंच का हिस्सा था , जिसने वोडाफोन मामले की सुनवाई की थी लेकिन सुप्रीम-कोर्ट ने इस जनहित-याचिका को मिथ्या लांछन लगाने वाला, ओछा और गैर-जिम्मेदार” बताते हुए ख़ारिज कर दिया और याचिका डालने वाले पर 50,000 रुपयों का जुर्माना डाल दिया”

http://www.moneycontrol.com/news/business/sc-dismisses-pilvodafone-tax-verdict_675875.html

http://www.livemint.com/2012/02/23004840/Vodafone-tax-saga-takes-a-new.html

## 14.4.4 कोर्ट को लिखा गया पत्र भी जनहित-याचिका के जैसे दर्ज किया जा सकता है

हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट को लिखे गए पत्रों को भी जनहित-याचिका के जैसे दर्ज करते हैं | हमने हाई कोर्ट जज को जनहित-याचिका पत्र भेजे हैं ; वे जवाब भी नहीं देते हैं | केवल उनकी ही जनहित-याचिकाएं ली जाती हैं, जिनकी जजों के साथ सेट्टिंग है और हम कोई भी जजों को नहीं जानते |

इसीलिए, जनहित याचिका बेकार है और कानून-ड्राफ्ट समाधानों पर विज्ञापन-पर्चे देना और जन-आन्दोलन खड़ा करना ही लाभदायक तरीका है देश में परिवर्तन लाने के लिए |

## 14.4.5 जनहित याचिकाओं को दर्ज करवाने के लिए जजों के साथ सेट्टिंग या रिश्वत देने की जरुरत होती है

गुजरात हाई-कोर्ट में जज 5 लाख तक की रिश्वत लेते हैं जनहित याचिका दर्ज करने के लिए और ये केवल याचिका दर्ज करने के लिए रिश्वत है, कोई गारंटी नहीं कि याचिका सफल होगी कि नहीं |

हाँ, या तो रिश्वत देनी पड़ती है या तो जजों के रिश्तेदारों या मित्रों के साथ सेट्टिंग होना जरुरी है जनहित-याचिका दर्ज करवाने के लिए |

**एक बार सुब्रमनियम कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करता है, तो विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित जज दूसरी वैसे ही याचिका आने नहीं देते | और सुब्रमनियम उस मामले को कमजोर कर देता है और जज उस मामले को सालों तक लटका देते हैं |**

यदि आप 2 जी की जनहित-याचिका के साथ सुप्रीम-कोर्ट जाते, तो जज आप को उसी समय बाहर का रास्ता दिखा देते | और जब सुब्रमनियम उसी जनहित-याचिका के साथ गए , तो उसका स्वागत किया गया | क्यों ? क्योंकि सुप्रीम-कोर्ट के जज चाहते थे कि सुब्रमनियम स्वामी को नाम मिले, आपको नहीं |

अभी, सुप्रीम-कोर्ट के जज क्यों चाहेंगे कि सुब्रमनियम स्वामी को नाम मिले ? देखिये, सुप्रीम-कोर्ट के जजों को परवाह नहीं है | उनको तो विदेशी कंपनियों के समूह से समर्थन और पैसा मिलता है और इसीलिए जज वैसा करते हैं जैसा ये विदेशी कंपनियों के समूह (लॉबी) कहते हैं |

और तो और , आप कोई भी बहादुरी का काम क्यों न करो, आप पर मीडिया कभी भी ध्यान नहीं देगी | और सुब्रमनियम केवल कोर्ट ही तो गए हैं | देखिये, हर महीने एक करोड़ भारतीय कोर्ट जाते हैं |

और आश्चर्य!! मीडिया के पास सुब्रमनियम स्वामी की तारीफ़ के अलावा कुछ नहीं है | क्यों ? क्योंकि मीडिया वाले नहीं चाहते कि आप हीरो बनें , वे चाहते हैं कि सुब्रमनियम स्वामी हीरो बनें | क्यों ? एकबार फिर, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है --- वे तो उन लोगों के अनुसार चलते हैं जो उनको पैसे देते हैं | उदहारण - राजीव दीक्षित जी , जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काफी काम किया और नुकसान पहुँचाया था, का फोटो एक भी बड़े पत्रिका में नहीं आया क्योंकि वे सच्चे देश भक्त थे लेकिन सुब्रमनियम का फोटो कई पत्रिकाओं पर मिलेगा |

तो कुल मिलाकर, कोर्ट और मीडिया ड्रामा का परिणाम है --- जज और मीडिया को समर्थन करने वाले और उनके असली मालिक, विदेशी कंपनी-समूह (लॉबी) अपने एजेंट हीरो के रूप में बैठा देंगे |

====

एक ही कारण है, क्यों मीडिया वाले सुब्रमनियम स्वामी को बढ़ावा देते हैं, ये है कि जो लोग मीडिया का प्रयोजन करते हैं, देखते हैं कि सुब्रमनियम कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहा है और कार्यकर्ताओं की सुस्ती को बढ़ावा दे रहा है, कोर्ट के मामलों से झूठी उम्मीदें लगवा कर |

कार्यकर्ता ये देखते हैं कि सुब्रमनियम ऊंचे-दर्जे के मामले दर्ज कर रहा है और बिके हुए मीडिया वाले झूठी आशाएं पैदा करते हैं कि इन मामलों का कुछ अच्छा परिणाम आएगा |

इसीलिए कार्यकर्ता सुस्त हो जाते हैं |

## 14.5 अभी हम सुब्रमनियम और सनातन धर्म और दूसरे मुद्दों के बारे में बात करते हैं

सुब्रमनियम स्वामी ने नवंबर 2011 के अहमदाबाद के अपने भाषण में एक मजेदार बात कही थी | उसने कहा था कि क़ानून की शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए | मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और ये मेरी ये वर्षों से मांग रही है | लेकिन यदि ध्यान दें कि सुब्रमनियम 1990 से 1991 में मंत्री-मंडल में क़ानून मंत्री थे | क्यों उन्होंने स्कूल में क़ानून पढ़ाने का प्रस्ताव नहीं रखा उस समय ? और 1977 से 1980 में भी जनता पार्टी में उनका अच्छा पद था | तब उन्होंने संसद में कोई क़ानून बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा था ? और बाद में भी वे सांसद रहे थे | तो फिर उन्होंने स्कूल में क़ानून पढ़ाने का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं रखा था संसद में ? दूसरे शब्दों में, वे सिर्फ बातें ही करते हैं ---- जब क़ानून बनाने की बात आती है, तो वो कुछ नहीं करते हैं | क्यों ? उनसे पूछिए |

अहमदाबाद की उसी सभा में, सुब्रमनियम ने बताया कि जुलिया रोबर्ट्स हिंदू बन गयी है और वहाँ बैठी आर.एस.एस. की बीढ़ ने तालियाँ बजानी शुरू कर दिया | स्वामी ने जान-बूझकर ये नहीं बताया कि आंध्र प्रदेश के 15% की आबादी से ज्यादा और कुछ 35% आन्ध्र की दलित जनसंख्या इसाई बन गयी है !!!

और अंत में, जब सुब्रमनियम से भ्रष्टाचार समाप्त करने का रास्ता पूछा गया, तो सुब्रमनियम ने एक बहुत ही चतुर जवाब दिया | उसने कहा " सनातन धर्म और सनातन मूल्य को बढ़ावा देना ही एक रास्ता है !!!" दूसरे शब्दों में, हमें व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें जूरी सिस्टम नहीं चाहिए, हमें भ्रष्ट जनता के नौकरों को बदलने के तरीके नहीं चाहिए, हमें अपनी पोलिस और कोर्ट को सुधारने की कोई जरुरत नहीं, हमें केवल सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने कि जरुरत है.....और अचानक, अपने आप भ्रष्टाचार कम हो जायेगा, बांग्लादेशियों को निकाल दिया जायेगा, सेना में सुधार आ जायेगा आदि, आदि |

सच तो ये है कि जब तक हम आम-नागरिकों के पास अपने बुनियादी अधिकार नहीं होंगे, अधिकार पारदर्शी तरीके से शिकायत या राय देना का, जो दबाया नहीं जा सके, भ्रष्ट को बदलने और सज़ा देने का अधिकार, भ्रष्टाचार और देश के दूसरे बहुत बड़ी समस्याएं हल नहीं होंगी और आम-नागरिक को गुलाम बनाया जायेगा, जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन किया जायेगा और लूटा जायेगा जैसे की दक्षिण कोरिया और इराक में हुआ | कृपया इसके लिंक चैप्टर 1,6,21, righttorecall.info/301.h.pdf में देखें |

प्रश्न ये है कि क्या अपने कोई लेख में सुब्रमनियम ने कोई कानून-ड्राफ्ट बताया है सेना को मजबूत करने के लिए ? नहीं | (कृपया सेना को मजबूत करने के लिए हमारी कानून-प्रक्रियाएँ righttorecall.info/301.h.pdf के चैप्टर 24 में देखें) सुब्रमनियम राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री का विरोध करता है – तो प्रधानमंत्री भ्रष्ट रहेगा और सेना को कभी भी सुधरने नहीं देगा | सुब्रमनियम आम-नागरिकों को हथियार देने के विरोधी है, तो फिर हम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, यदि उसके पास चीन के आधुनिकतम हथियार हुए तो ?

और हम पाकिस्तान के साथ बिना भारतीय सेना को सुधारे लड़ नहीं सकते | सुब्रमनियम क्या कदम बताता है सेना को सुधरने के लिए ? और जब वो सांसद/मंत्री था 1990 में, तो उसने कितने कानून-ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया था संसद में सेना को सुधरने के लिए ? क्या उसने कोई कानून का प्रस्ताव किया था उस समय संविधान का अनुच्छेद-370 रद्द करने के लिए ?

सुब्रमनियम अवैध बंगलादेशियों को भारत से निकालने की बात करता है, लेकिन वो उन सभी कानून-ड्राफ्ट का विरोध करता है जो अवैध बंगलादेशियों को देश से बहार निकालने के लिए जरुरी है , उदहारण यदि कोई आरोपी बंगलादेशी है या भारतीय, ये निर्णय करने के लिए ज्यूरी द्वारा मुकद्दमा बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर जज भ्रष्ट होते हैं और केस को जान-बूझकर लटकाते रहते हैं | और

सबसे जरूरी --- बंगलादेशियों की पब्लिक में नार्को-जाँच , ये सिद्ध करने के लिए कि वो बंगलादेशी हैं | और सुब्रमनियम स्वामी ने खुले-आम नार्को जांच का विरोध किया है | असल में, सुब्रमनियम हसन अली, ए.राजा आदि पर नार्को-जांच का भी विरोध करता है |

इसके अलावा सुब्रमनियम दावा करता है कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले है लेकिन ऐसे क़ानून प्रस्ताव करने से मना करता है जिनसे बंगलादेशियों का देश में गैर-कानूनी तरीके से घुसना रुक सके और देश में मौजूद अवैध बंगलादेशियों को खोजा जा सके, उनकी राष्ट्रीयता साबित करके उनको देश के बहार निकाला जा सके | वो ऐसे कानून प्रस्ताव करने से भी मना करता है जिनसे हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन रोका जा सके |

जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन, अवैध बंगलादेशियों की समस्या, ईसाई धर्म-प्रचारकों और विदेशी कमापनियों का मंदिरों पर कब्ज़ा करके उसका पैसा धर्म-परिवर्तन में लगाना, ये सब समस्याओं का समाधान कोर्ट के चक्कर लगाने से नहीं होगा | कृपया हमारे प्रस्ताव righttorecall.info/301.h.pdf में देखें और हमारा विडियो भी देखें इसी चैनल में जबरदस्ती धर्म-परिवर्तन और अवैध बंगलादेशियों को रोकने के लिए |

मैंने स्वयं सुब्रमनियम स्वामी से बात की है | वो किसी भी कानून में परिवर्तन का विरोध करता है , विशेषकर पारदर्शी शिकायत /प्रस्ताव प्रणाली (कृपया चैप्टर 1, righttorecall.info/301.h.pdf देखें)

केवल हिंदू मानसिकता जो बदलने की जरूरत है, वो है कि कानून-प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करा जाये | हिंदुओं को अपने संस्कृति के ओर वापस लौटना होगा, जिसमें व्यक्ति की नहीं व्यक्ति के गुणों की पूजा करने होती है | उनको सभी अंध-भक्ति रोक देनी चाहिए |

## 14.6 सुब्रमनियम कार्यकर्ताओं को भटका क्यों रहा है ?

ये स्पष्ट है कि ये पैसे के लिए नहीं कर रहा है, शायद नाम के लिए कर रहा है, लेकिन जो भी कारण है, ये साफ़ है कि उसका ये कोर्ट का अभियान केवल कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहा है, ना कि भ्रष्टाचार कम कर रहा है |

**सुब्रमनियम स्वामी के सारे कोर्ट के मुकद्दमों का परिणाम एक बड़ा शून्य है |**

सच्चाई ये है कि 99% बड़े भ्रष्टाचारों में, भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत नहीं होता और इसीलिए कोर्ट में मामले दर्ज करके भ्रष्टाचार कम करने का तरीका जो सुब्रमनियम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है एकदम बेकार है | बिना सबूत के, भ्रष्ट को सज़ा नहीं दी जा सकती है | इसीलिए सुब्रमनियम, उसके 15 सालो से ज्यादा, कोर्ट के अभियान में एक भी भ्रष्ट को सज़ा नहीं दिलवा सका है | और बिना भ्रष्ट को सज़ा हुए, भ्रष्टाचार में कोई भी कमी नहीं होगी | इसीलिए अभी तक सुब्रमनियम ने भ्रष्टाचार कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है |

और फिर भी मीडिया के सामने, सुब्रमनियम कोर्ट में मामले दर्ज करके भ्रष्टाचार का खुलासा करने और भ्रष्टाचार कम करने का दावा करता है | उसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये संभव नहीं है और वो सच्चे कार्यकर्तओं को असलियत में भ्रष्टाचार को कम करने के रास्तों, जैसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, जज, लोकपाल आदि को बदलने या सज़ा देने का आम-नागरिकों का अधिकार, पर चलने से भटका रहा है |

एक और झूठ जो सुब्रमनियम और दूसरे नेता, कार्यकर्ताओं और आम-नागरिकों को बोलता है - `अपने पसंद के नेता आर पार्टी को बहुमत से चुन कर जितवाओ और हम सभी अच्छे कानून बनायेंगे`| ये पूरी तरह से असंभव है | क्यों ? मान लीजिए, किसी तरह एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिल भी जाती है, लेकिन उसको 5-10 साल या ज्यादा चाहिए राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए और कानूनों को पारित करने के लिए | यदि ये भी किसी तरह संभव हो गया कि कोई कानून दोनों सदनों में पारित हो गया, तो विदेशी कम्पनियाँ सुप्रीम-कोर्ट में अपने एजेंट जजों द्वारा उस कानून को रद्द करवा सकती हैं | इसीलिए केवल कुछ गिने-चुने लोग ही शक्तिशाली विदेशी कंपनियों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि आज अधिकतर मीडिया और न्यायपालिका विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में हैं |

केवल 2-4 लाखों कार्यकर्ता और कुछ करोड़ आम-नागरिक चाहिए देश के लिए अच्छे कानून-प्रक्रियाओं पर जन-आन्दोलन खड़ा करने के लिए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मजबूर करने के लिए कि वे इन कानून-ड्राफ्ट को भारतीय राजपत्र में डालें | मैं श्रोताओं से विनती करूँगा कि वे अध्ययन करें कि कैसे बदलाव आये थे असली, सफल जन-अन्दोलान के द्वारा, जैसे भारतीय नौसेना विद्रोह, 1946 , आपातकाल-विरोधी जन-आन्दोलन, 1977 आदि |

आगे की चर्चा हम अगले विडियो, पार्ट-4 में करेंगे |

==========पार्ट-3 समाप्त==========

पिछले विडियो में हमने बात की थी जूरी सिस्टम के इतिहास की, कोर्ट ड्रामा के बारे में --- मतलब कार्यकर्ताओं को ये झूठ बोलकर गुमराह करना कि कोर्ट के चक्कर लगाने से देश का भ्रष्टाचार और बड़ी-बड़ी समायें हल हो जाएँगी , जनहित याचिका की फिक्सिंग के बारे में बात की थी और बुद्धिजीवी क्यों जूरी सिस्टम से नफरत करते हैं के बारे में बात की थी |

## (15) अभी ऐतिहासिक नानावटी मामले के बारे में बात करते हैं

अंग्रेजों ने काफी पहले ही यह महसूस कर लिया था कि उनके अपने ही कलक्टर और जज हद से ज्यादा भ्रष्ट हैं और यदि उनके अधिकारों को कम नहीं किया गया तो

जनता इस हद तक कुचली जाएगी कि वह विद्रोह कर देगी। यही कारण था कि 1870 के दशक में अंग्रेजों ने भारत में जूरी सिस्टम लागू किया । लेकिन वर्ष 1956 में भ्रष्ट जवाहरलाल और सुप्रीम-कोर्ट के उस समय के भ्रष्ट जजों ने नानावटी मामले को कारण बताकर जूरी सिस्टम को ही समाप्त कर दिया। लेकिन ये बात एकदम बकवास थी।

नानावटी ने आहूजा नाम के एक व्यक्ति को जान से मार दिया था। जूरी-सदस्यों ने एक सच्चाई के रूप में इसे स्वीकार किया था। नानावटी नौसेना का एक अधिकारी था। और नागरिकों में सैनिक अधिकारियों के लिए बहुत अधिक सम्मान था। यह सम्मान तब दोगुना हो गया जब नागरिकों ने देखा कि एक धनवान परिवार का यह धनी व्यक्ति आराम की जिन्दगी को छोड़कर सेना की कठिन जिन्दगी स्वीकार कर रहा है। और आहूजा एक माना हुआ पर-स्त्रीगामी यानी पराई स्त्री के साथ सम्भोग करने वाला व्यक्ति था। और उस समय जब असली पिता का पता लगाने के लिए जांच (यानी *पैटरनिटी टेस्ट)* मौजूद नहीं हुआ करता था तो अवैध संबंध बनाने को हत्या जैसा ही बुरा अपराध माना जाता था। जूरी-मंडल के सदस्य दुविधा में पड़े हुए थे कि यदि वे नानावटी को दोषी बता देते हैं तो जज उन्हें मृत्युदंड देंगे । यदि जूरी-सदस्यों के पास सजा क्या होगी का फैसला करने का अधिकार होता तो जूरी-सदस्य अवश्य ही कुछेक साल की कैद जैसी कोई सजा दे देते। लेकिन जूरी-सदस्यों के पास केवल एक ही अधिकार था – उसे दोषी करार देना जिसका परिणाम था, उसकी मौत अथवा उसे निर्दोष करार देना। नानावटी का अपराध पैसे के लिए किया गया अपराध नहीं था और न ही नानावटी कोई पेशेवर अपराधी था और जूरी-मंडल के सदस्यों का विश्वास था कि गुस्से में आ कर किए गए उसके अपराध के लिए वह मौत जितनी बड़ी सजा का हकदार नहीं था। इसलिए, जूरी-सदस्यों ने उसकी जिन्दगी बचाने के लिए सही निर्णय लिया था | "कोई सजा नहीं" का फैसला उन्होंने इसीलिए लिया, क्योंकि उन्हें उसे कुछेक साल की कैद की सजा देने का अधिकार ही नहीं था और यह उनकी बुद्धिमानी या समझ की गलती नहीं थी। यही कारण है कि उस जूरी-सिस्टम में, जिसका मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, उसमें जूरी-सदस्य सजा का भी निर्णय करते हैं | ताकि जूरी को अपनी अंतरात्मा द्वारा "दोषी नहीं" का फैसला देने पर मजबूर न होना पड़े – तब, जब कोई व्यक्ति दोषी तो हो पर इतना भी दोषी न हो कि उसे सबसे बड़ी, मृत्युदण्ड की सजा मिल जाए, जो जज उसे दे सकते हैं ।

इसलिए नानावटी मामला हमें यह दिखाता है कि जूरी-सदस्यों ने एक बहुत ही उचित फैसला लिया और इसमें जिस बात की जरूरत है वह है- जूरी-सदस्यों के अधिकार बढ़ाना और जजों के बदले उन्हें ही सजा का भी निर्णय करने का अधिकार देना। इसके बावजूद, नेहरू ने ( भ्रष्ट जज और भ्रष्ट जमींदारों के साथ सांठ-गाँठ होने के कारण), जजों के साथ मिलकर "नानावटी सुनवाई" को एक कारण बताते हुए बिना किसी बहस के, भारत में जूरी सिस्टम को रद्द कर दिया।

नेहरू ने भारत में जूरी सिस्टम को रद्द करने के लिए नानावटी मामले को बहाना बनाया और सभी कांग्रेसी सांसदों और कम्युनिस्ट पार्टियों आदि ने इसका समर्थन करते हुए

उनका साथ दिया। नेहरू ने यह निर्णय उन जमींदारों की सहायता करने के लिए लिया था जो भूमिहीनों (यानी बिना जमीन के लोगों) को पीटने के लिए अपराधियों का उपयोग किया करते थे, ताकि वे भूमि-सुधार के कानूनों की मांग ना करें । जूरी सिस्टम के कारण, अपराधियों को जेल की सजा मिलने लगी थी और अब जमींदारों के लिए अपराधियों से भूमिहीनों को पीटने के लिए कह पाना कठिन हो रहा था। इसलिए नेहरू ने भारत से जूरी सिस्टम को ही रद्द कर दिया ताकि जमींदार लोग भूमिहीनों को पीट सकें और भूमि सुधारों को रोक सकें।

## (16) अब देखते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तावित जिले स्तर के लिए जूरी सिस्टम की प्रक्रिया क्या है ?

मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले के लिए जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे, जो नागरिकों द्वारा किसी भी दिन बदला जा सकता है बहुमत नागरिकों की स्वीकृति द्वारा | जूरी प्रशासक महा-जूरी मंडल का गठन करेगा |

जूरी प्रशासक लोटरी से (क्रम रहित तरीके से) 30 नागरिक चुनेगा, जो 30 से 55 साल के बीच हों, जिले की वोटर लिस्ट मतलब मतदाता-सूची में से, जो महा-जूरी मंडल कहलायेंगे | महा-जूरी के सदस्यों को क्रम-रहित तरीके से 10-10 के 3 समूहों में बांटा जायेगा और हर 10 दिन, जूरी प्रशासक पहले चुने गए समूह के 10 महा-जूरी के सदस्यों को रिटायर करेगा और 10 नए महा-जूरी सदस्य क्रमरहित तरीके से चुनेगा वोटर लिस्ट में से |

महा-जूरी सदस्य प्राप्त शिकायतों में से कुछ शिकायतों को चुनेंगे और चुने गए शिकायतों के शिकायतकर्ता को बुलाएँगे | महा-जूरी आरोपी को बुला सकते हैं या उनको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है | या अगर 15 से अधिक महा-जूरी सदस्यों को प्रथम दृष्टि में ये लगता है कि किसी शिकायत पर करवाई होनी चाहिए, तो वे बिना शिकायतकर्ता को बुलाए भी आगे मुक़दमा चलने के लिए आदेश दे सकते हैं |

फिर, मुकदमे के लिए जूरी प्रशासक क्रमरहित तरीके से 18 नागरिकों की नियुक्ति करेगा जूरी के लिए | जूरी-प्रशासक इन 18 जूरी सदस्यों को 12 मुख्य जूरी सदस्य और 6 विकल्प जूरी सदस्यों में क्रम-रहित तरीके से बांटेगा | यदि कोई मुख्य जूरी सदस्य निकाला जाता है किसी भी कारण से, तो उसकी स्थान पर क्रमरहित तरीके से विकल्प जूरी सदस्य जायेगा | जूरी के सदस्यों को न्यूनतम वेतन मिलेगा | सुनवाई 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक चलेगी | एक कोर्ट में एक ही मामला चलेगा, इसीलिए मुकदमे का फैसला अधिकतर मामलों में एक हफ्ते में आ जायेगा |

जूरी सिस्टम में अध्यक्षता करने वाला जज केवल एक रेफेरी की तरह काम करता है | उसके अधिकार आज के जज की तुलना में बहुत कम होंगे | अध्यक्षता करने वाला जज जूरी

को कानून के बारे में सलाह दे सकता है और उसका मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमा अच्छे से चले |

दोनों पक्ष, आरोपी और शिकायतकर्ता, बारी-बारी से एक-एक घंटा के लिए अपनी दलील रखेंगे | दलीलें इस तरह कम से कम 3 दिन तक चलेंगी या तब तक चलेंगी, जबतक 7 से अधिक जूरी सदस्य ये नहीं बोल देते कि उन्हें और दलील नहीं सुननी है | अंत में, दोनों पक्ष अपनी दलीलों का 2 घंटों में सारांश रखेंगे | फिर, जूरी सदस्य कम से कम 2 घंटों तक विचार-विमर्श करेंगे। यदि 2 घंटों के बाद 7 से ज्यादा जूरी-मंडल सदस्य कहते हैं कि और विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है तो जज (जूरी-मंडल के) प्रत्येक सदस्य से अपना-अपना फैसला घोषित करने के लिए कहेगा।

हर जूरी सदस्य कितनी सजा होनी चाहिए बताएगा जो वह उपयुक्त समझता है । और यह सजा कानूनी सीमा से **कम** ही होनी चाहिए । यदि यह सजा कानूनी सीमा से ज्यादा है, तो जज इसे कानूनी सीमा की जितनी मानेगा । जज सजा की अवधियों को बढ़ते क्रम में सजाएगा और चौथी सबसे छोटी सजा की अवधि को चुनेगा अर्थात उस सजा की अवधि को जूरी मंडल द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय की गयी माना जाएगा, जिसके लिए 12 जूरी सदस्यों में से 8 से ज्यादा सदस्यों ने स्वीकृति दी हो | उदहारण-जैसे जूरी-मंडल द्वारा दी गयी सजा की अवधियाँ यदि बढ़ते क्रम में 1,4,4,4,5,5,5,5,6,6,8,9 साल हैं, तो चौथी सबसे छोटी सजा की अवधि 4 साल है और बाकी 8 जूरी-मंडल के लोगों ने इससे अधिक दण्ड की स्वीकृति दी है |

इस तरह सजा होनी चाहिए कि नहीं और कितनी होनी चाहिए, जूरी सदस्य निर्णय करेंगे और जमानत होनी चाहिए कि नहीं वो महा-जूरी के सदस्य निर्णय करते हैं |

## (17) अब देखें कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) क्यों एक बेकार विचार है

देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की मांग की है, जिसमें लगभग 5 से 15 लोगों के पास ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को नौकरी पर रखने या हटाने का अधिकार होगा। ये 5 से 15 लोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उच्च वर्ग के लोगों के पास बिक जाएंगे और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के आने के बाद सभी कोर्ट बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उच्च वर्ग के लोगों की जागीर बन जाएंगे। हम प्रजा अधीन–सुप्रीम कोर्ट जज का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख बुद्धिजीवियों द्वारा मांग किए गए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, जिसके द्वारा देश की हम आम जनता, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) के सदस्यों को उनके पद से हटा सके या उन्हें बदल सकें । और इन बुद्धिजीवियों

ने अपने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव में ऐसी प्रक्रिया का विरोध किया है। इस तरह, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) के सदस्य ही उच्च वर्ग के लोगों के हाथ की भ्रष्ट कठपुतली बन जायेंगे ।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) प्रस्ताव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पुराने उच्च वर्ग के लोग उन जजों का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है और आज के नए उच्च वर्ग के लोगों से जिनकी यारी-दोस्ती और लेन-देन है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) का प्रस्ताव पुराने काल के ऊंचे लोग विरुद्ध आज के उच्च वर्ग के लोग का खेल ही है और इसमें हम आम-जनता के लिए कुछ भी नहीं है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) केवल उच्च वर्ग के लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर नियंत्रण को मजबूत करेगा | अभी उच्च वर्ग के लोगों को 25 सुप्रीम-कोर्ट के जज और 600 हाई कोर्ट के जजों के साथ सेट्टिंग करनी होती है जो उनका अधिक समय और पैसा लेता है | राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) ये सुनिचित करेगा कि उच्च वर्ग के लोगों को केवल 5 से 10 राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एन.जे.सी.) सदस्यों को ही रिश्वत देनी होगा और उनके द्वारा, वे सभी 25 सुप्रीम कोर्ट जज और 600 हाई कोर्ट जजों को काबू में कर सकते हैं (हटाने की धमकी द्वारा) |

## (18) अब देखते हैं कि हम आम-नागरिक भारत में जूरी-सिस्टम कैसे ला सकते हैं ?

सबसे तेज और आसान तरीका सभी अच्छे कानून लाने के लिए है कि सबसे पहले पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) लाया जाये | एक बार कुछ लाख लोग अपने महीना का 10 से 15 घंटा देकर, सभी 120 करोड़ नागरिकों को सभी जन-हित के कानून-ड्राफ्ट जैसे जूरी सिस्टम, पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम), राईट टू रिकॉल के तरीके, आदि बता दें, तो करोड़ों लोग फिर उनकी मांग करेंगे | आज, हमें 100 या अधिक अलग-अलग कानूनों या बदलावों की जरूरत है देश का प्रशासन सुधारने के लिए लेकिन बजाय के हम इसके लिए 100 अलग-अलग आंदोलन करें, हमको एक ही कार्यकर्ता-संचालित, ड्राफ्ट के नेतृत्व में, 1977 के आपातकाल-विरोधी जन-आन्दोलन जैसा आंदोलन करना चाहिए पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) के लिए और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देना चाहिए तीन लाइन सरकारी आदेश, पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) को भारतीय-राजपत्र में डालने के लिए | एक बार ये तीन लाइन का सरकारी आदेश आ जाता है, तो फिर अगले दिन मैं या कोई व्यक्ति कलेक्टर के दफ्तर जाकर जूरी सिस्टम, राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री, राईट टू

रिकॉल-जज आदि जनहित के क़ानून-ड्राफ्ट, एफिडेविट में अर्जी के रूप में डाल सकते हैं प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर |और जब करोड़ों लोग उसका समर्थन करेंगे अपने पास के पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जाकर, तो इतना दबाव बन जायेगा कि प्रधानमंत्री उसपर हस्ताक्षर करने और पास करने के लिए मजबूर हो जायेंगे |

## (19) तो फिर कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए ?

कार्यकर्ताओं को अब उन तरीकों और क़ानून-ड्राफ्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो देश की समस्याओं को हल करेंगे, ना कि कोर्ट के नाटक पर ध्यान केंद्रित करें या नेताओं को अंधे होकर मानें या समर्थन करें |

उनको लोकतान्त्रिक तरीके अपनाने चाहिए, देश के लिए अच्छे प्रक्रियाएँ और देश में व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए --- विज्ञापन / पर्चे द्वारा समाधान क़ानून-ड्राफ्ट जन-समूह को बताना चाहिए |

ये लोकतान्त्रिक तरीके हैं देश के लिए अच्छे प्रक्रियाएँ लाने के लिए और इसीलिए ये तरीके सफल होंगे यदि कार्यकर्ता इसमें भाग लें तो | गैर-लोकतान्त्रिक तरीके जैसे अपने प्रिय नेता के नारे लगाना, भाषणबाजी, बंद दरवाजों के पीछे चर्चा, किसी नेता के लिए चुनावी प्रचार करना, अनशन, मोमबत्ती रैली, आदि., से देश और व्यवस्था में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा |

इन तरीकों में जनसमूह सक्रिय रूप से शामिल होता है, जो देश में बराबर के हिस्सेदार हैं और इसीलिए ये लोकतान्त्रिक तरीके शक्तिशाली और सफल होते हैं | दूसरी ओर, वो तरीके जिनके द्वारा जनसमूह नहीं, कुछ ही लोग सक्रीय रूप से शामिल होते हैं, वे कमजोर और गैर-लोकतान्त्रिक हैं और व्यवस्था में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने में विफल हो जाते हैं |

ये जन-हित की कानून-प्रक्रियाएँ भारतीय राजपत्र में डाली जाएँ, उससे पहले ही जब जन-समूह को देश के ज्वलंत समस्याओं के समाधान क़ानून-प्रक्रियाओं के बारे में पता चलेगा जैसे पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली, राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री, राईट टू रिकॉल-जज, राईट टू रिकॉल-पोलिस अध्यक्ष, आदि , तो नेता, जज, पोलिस डरेंगे कि अब लोगों को इन प्रक्रियाओं के बारे में पता चल गया है और अब यदि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, तो करोड़ों लोग ऐसी प्रक्रियाओं की मांग करेंगे, जिनके प्रयोग से जनता की राय नहीं दबेगी और आम-नागरिक भ्रष्ट को बदल सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं |

दूसरे शब्दों में, इन कानून-प्रक्रियाओं के आने का डर भी प्रभावशाली है और ये डर जनता के नौकरों को सुधर जाने के लिए मजबूर करेगा |

किसी अच्छे नेता या बुद्धिजीवी की क्या पहचान है उनको समर्थन करने के लिए ?
नागरिकों को केवल उन्हीं नेताओं या बुद्धिजीवियों को मानना चाहिए या समर्थन करना चाहिए, जिन्होंने अपने घोषणा-पत्र या वेबसाइट में अच्छे प्रक्रियाएँ डाली हैं, जो देश की बड़ी समस्यों का समाधान कर सके | और ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उन नेताओं या बुद्धिजीवियों की पोल खोले, जो नागरिकों को झूठ बोलते हैं और उन समय-बर्बाद करने वाले कामों में उलझाते हैं जो ये समस्या कम नहीं करते, जैसे कोर्ट ड्रामा और मीडिया ड्रामा और उन्हें असली उपायों जैसे भ्रष्ट को बदलने या सज़ा देने के प्रक्रियाओं और दूसरे जन हित के क़ानून-ड्राफ्ट से गुमराह करते हैं |

आप ये क़ानून-ड्राफ्ट - पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम), जूरी सिस्टम, राईट टू रिकॉल-जज, राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री आदि righttorecall.info/301.h.pdf के चैप्टर 1,2,6,7,21 में देख सकते हैं | इसीलिए, कृपया ये जन-हित के तरीकों के बारें में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि लोगों को न्याय वाले और तेज फैसले मिल सकें और देश तरक्की करे | आप भी ऐसे ऑडियो-विडियो अपनी-अपनी स्थानीय भाषा में बनाएँ और ये सन्देश घर-घर पहुंचाएं |
और विस्तृत चर्चा के लिए forum.righttorecall.info पर रेजिस्टर करके पोस्ट करें |
धन्यवाद |